भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1094**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

राजस्थान में नकली उर्वरक का उत्पादन

1094. श्री अमरा राम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कितने नकली उर्वरक उत्पादन कारखानों का पता चला है और आज तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या यह सच है कि किसानों को उर्वरकों के साथ अन्य कीटनाशक और नैनो यूरिया जबरन दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अनुमान क्या है;
(ग) क्या इसमें कोई सरकारी एजेंसी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सरकारी एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या डीएपी और अन्य उर्वरकों की समय पर अनुपलब्धता के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए अधिकारियों के विरूद्ध कोई जिम्मेदारी तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, उर्वरक निरीक्षकों द्वारा किशनगढ़, अजमेर स्थित रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों एवं शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उत्पादकों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 16 कंपनियों के विरुद्ध जब्ती एवं एफआईआर की कार्यवाही की गई है। 13 कंपनियों के प्राधिकार-पत्र निरस्त कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग): उर्वरक विभाग द्वारा अन्य उत्पादों को उर्वरकों के साथ टैग/लिंक करने को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तदनुसार, उर्वरक कंपनियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने के उपयुक्त निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 के तहत टैगिंग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(घ): वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान राज्य में डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 22.07.2025 तक, राजस्थान राज्य में 2,27,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है और राज्य के पास वर्तमान में 61,000 मीट्रिक टन डीएपी का अंतिम स्टॉक है।

******